मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ PS-TWD/224/2025 भोपाल,दिनांकः 16.04.2025

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त वनमण्डलाधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
4. समस्त सहायक आयुक्त,
   जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।

विषयः- वन ग्रामों में वन अधिकार पत्र/पट्टों की मान्यता लागू करने के लिए Standard Operating Procedure (SOP).

वन विभाग द्वारा वानिकी कार्य संपादन के लिये श्रमिकों को वनक्षेत्रों में बसाकर वनग्राम स्थापित किये गये थे। कालान्तर में मध्यप्रदेश आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वनग्रामों की स्थापना नियम 1977 के तहत इन्हें पट्टे भी जारी किये गये हैं। उक्त पट्टों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ-साथ अन्य परम्परागत वन निवासी भी शामिल हैं। अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(g) सहपठित 3(1)(h) के तहत वन ग्रामों के समस्त पट्टेधारियों के पट्टों को वन अधिकार पत्र में सम्परिवर्तन करने का प्रावधान है। जिसमें अधिनियम की धारा 4(6) की अधिकतम 4 हेक्टेयर की सीमा लागू नहीं है। परंतु वन ग्रामों के सेंपल सर्वेक्षण में संज्ञान हुआ है कि कुछ वन ग्रामों में धारा 3(1)(g) एवं 3(1)(h) के तहत संपरिवर्तन की कार्यवाही न करते हुए धारा 3(1)(a) के तहत अधिकतम 4 हेक्टेयर की सीमा तक अधिकार पत्र दिये गए हैं जिसके कारण वन ग्रामों के पट्टेधारियों को उनके पट्टे से कम क्षेत्रफल पर अधिकार पत्र जारी किए गए हैं । यह भी ज्ञात हुआ है कि वन ग्रामों के अधिकांश अन्य परम्परागत वन निवासी पट्टेधारियों को वन अधिकार पत्र वितरित नहीं किए गए हैं, क्योंकि धारा 3(1)(a) सहपठित धारा 2(0) की शर्तों को वे पूरा नहीं करते थे। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तित करने के पूर्व व्यक्तिगत वनाधिकार (IFR) दावों की पूर्ण मान्यता सुनिश्चित करना आवश्यक है। अतः वन ग्रामों का पूर्ण मानचित्रण और IFR दावों की पूर्ण मान्यता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार क्षेत्र स्तरीय प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

2/ वन अधिकार समिति (FRC) के साथ प्राथमिक चर्चा :- जमीनी स्तर पर काम करने वाले सरकारी अमले तथा सरकारी सहायक अधिकारी जैसे पेसा मोबिलाइजर्स, जन अभियान परिषद को वन अधिकार

समिति को सहायता प्रदान करने के लिए IFR दावा बनाने पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

3/ वन ग्रामों की बाहरी सीमाओं का निर्धारण एवं नक्शा तैयार किया जाना :- वन विभाग के नक्शे में वन ग्राम की जो बाह्य सीमा दर्शायी गयी है उसका स्थल सत्यापन करना होगा। वन अधिकार समिति और वन विभाग के कर्मचारी तथा पटवारी साथ-साथ वनग्राम सीमा का भ्रमण कर मुनारों के स्थान का सत्यापन करेगी । इससे वनग्राम की बाह्य सीमा की समझ बनेगी। बाह्य सीमा निर्धारण के बाद पूरे क्षेत्र का नक्शा GPS से सर्वे कर वन अधिकार समिति, वनरक्षक तथा पटवारी संयुक्त रूप से तैयार करेगें।

4/ वन अधिकार पत्र धारकों/पट्टेधारियों की सूची तैयार करना :-

4.1 नक्शे में स्थानिक नामों के अनुसार कृषि, आबादी और सामुदायिक स्थलों के इलाके चिन्हित करना उदाहरण के लिए दादर, छापर, बहरा, निचले खेत आदि।

4.2 नक्शे में पूर्व से जारी वन अधिकार पत्रों की स्थिति दर्ज करना।

4.3 ऐसे पट्टेधारी जिन्हें वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया या आंशिक वन अधिकार पत्र किया गया है, उनकी शेष भूमियों जिन पर उनका कब्जा है, का विवरण दर्ज करना। (कब्जा केवल कंडिका (3) में दर्ज वन ग्राम की सीमा के अंदर ही होना चाहिए) पट्टेधारी जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके वारिसों के नाम लिखे जाएंगे।

4.4 समस्त वन अधिकार पत्रक धारकों और पट्टेधारियों की सूची संलग्न प्रारूप-1 में तैयार करना। इस सूची में इनकी भूमियों पर खड़े वृक्षों को सूची में दर्ज करना।

4.5 दिनांक 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व या बाद के कब्जे के निर्धारण हेतु यथासंभव अधिनियम में वर्णित अन्य साक्ष्यों के साथ-साथ वन विभाग में उपलब्ध सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग अनिवार्य रूप से करना है। वन अधिकार समिति द्वारा उक्त कार्य में वन अमले व पटवारी के साथ-साथ सरकारी सहायक अधिकारी पेसा मोबिलाइजर्स, जन अभियान परिषद का सहयोग लिया जाएगा। मूल वन अधिकार धारक मृत्यु हो गई हो तो पारिवारिक सहमति अनुसार नवीन दावेदार निश्चित करना।

4.6 जनजाति कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त/लंबित/निरस्त दावों की सूची प्राप्त कर वन अधिकार समिति द्वारा ग्राम से मिले अधिकार पत्रों के साथ उसका मिलान किया जावे। वन अधिकार समिति द्वारा उक्त कार्य में सरकारी अमले एवं सरकारी सहायक अधिकारी पेसा मोबिलाइजर्स, जन अभियान परिषद का सहयोग लिया जाएगा।

4.7 सूची तथा सर्वेक्षित नक्शे में मिलान करना जिससे दोनों में कोई अंतर न हो।

4.8 सूची में खेतों/घरों के सामने वन अधिकार मान्य हुये हैं अथवा नहीं, स्पष्ट रूप से दर्ज करना।

5/ सूची अनुसार दावा फॉर्म भरना :-

5.1 ऐसे पट्टा धारी चाहे वे किसी भी वर्ग के हो, जिन्हें पूर्व में दिये गये पट्टे से कम क्षेत्रफल की भूमि वन अधिकार में मिली है और जो 13 दिसम्बर, 2005 को शेष पट्टे की भूमि पर काबिज थे, उनके फार्म भरे जायेंगे। इस हेतु चार हेक्टेयर की सीमा लागू नहीं होगी।

5.2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के लिये वन अधिकार पत्र का आवेदन भरा जायेगा।

5.3 अन्य परंपरागत वन निवासी जो 75 साल से रह रहे हैं, उनके लिये भी वन अधिकार पत्र का आवेदन भरा जायेगा।

5.4 अन्य परंपरागत वन निवासी जो 75 साल से कम समय से निवासरत हो, उनके लिये पट्टा नवीनीकरण का फार्म भरा जायेगा।

5.5 वनग्राम के ऐसे अतिक्रामक जिनका कब्जा 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व से है और वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है, उनके वन अधिकार पत्र के आवेदन भरे जायेंगे। ऐसे आवेदनों में धारा 3(1)(a) सहपठित धारा 4(6) के तहत चार हेक्टेयर की अधिकतम सीमा लागू होगी। इनकी सूची प्रपत्र-2 में होगी।

5.6

- उदाहरण के लिए वनग्राम में किसी निवासी के पास 5 हेक्टेयर का वन पट्टा है तो उसे 5 हेक्टेयर का वन अधिकार पत्र जारी होगा।
- यदि उक्त वन ग्राम निवासी के दो वारिस अ एवं ब हैं जिसमें से प्रत्येक के पास पट्टे की भूमि अ के हक में 2.5 हेक्टेयर तथा ब के हक में 2.5 हेक्टेयर पट्टे की भूमि विभाजित होगी। यदि अ का 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व पट्टे के रकबे सहित कुल 3 हेक्टेयर वन भूमि पर काबिज है तो उसे पात्र होने पर 0.5 हेक्टेयर का वन अधिकार पत्र जारी होगा। इसी प्रकार यदि 'ब' के पास पट्टे के रकबे सहित कुल 5 हेक्टेयर वन भूमि पर काबिज है तो उसे पात्र होने पर 1.5 हेक्टेयर का वन अधिकार पत्र जारी होगा।

5.7 ऐसे सभी आवेदनों की सूची प्रपत्र-3 में तैयार की जायेगी।

6/ वन अधिकार समिति द्वारा सूचियों अनुसार स्थल सत्यापन:- वन अधिकार समिति वनरक्षक तथा पटवारी के साथ संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर वास्तविक कब्जे का सत्यापन करेगें। इस सत्यापन की प्रविष्टी प्रपत्र-3 में की जाएगी।

7/ दावा आवेदनों का निराकरण:- ग्राम सभा स्तरीय वन अधिकार समिति सभी दावों को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा द्वारा दावों के अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव पारित कर उपखंड स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी।

उपखंड स्तरीय समिति इसे अपनी अनुशंसा सहित जिला स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा दावों के विनिश्चयन करने के उपरांत अंतिम रूप से मान्य दावों की सूची प्रपत्र-4 में तथा अंतिम मानचित्र तैयार किया जायेगा।

8/ नक्शे को अंतिम रूप दिया जाना:- पूर्व के मान्य दावों सहित समस्त दावों के वन अधिकार पत्र एवं वन ग्राम में जिन्हें वन अधिकार पत्र नहीं मिला है परन्तु वन ग्राम नियम के तहत पट्टा मिला है उनका भी विवरण वनग्राम के अंतिम नक्शे में दर्ज किया जायेगा।

9/ उपरोक्त समस्त कार्यवाहियों के लिए ग्राम स्तर पर सचिवालय सेवा ग्राम पंचायत उपलब्ध करायेगी।

10/ वन अधिकार समिति अध्यक्ष व सचिव तथा पटवारी, वनरक्षक व पंचायत सचिव तीनों प्रपत्र पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गुलशन बामरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

(अशोक बर्णवाल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

(गुलशन बामरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/ PS-TWD/225/2025 भोपाल,दिनांक: 16.04.2025

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
4. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश।
7. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
8. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
9. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।
11. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/4/25

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

कार्यालय
वनमंडल अधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल
बालाघाट (म.प्र.)

पृ० क्रमांक/मा चि./2654 दिनांक 24/04/2025

प्रतिलिपि :- ① सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, बालाघाट
② उप व० म० अ०, बालाघाट / कटंगी एवं लांजी (सा०) उपवनमंडल
③ समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी, दक्षिण (सा०) वनमंडल, बालाघाट

की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित शासन पत्र की छायाप्रति मय सलंग्न सहपत्रों व प्रपत्रों सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। कृपया उपरोक्त म०प्र० शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के शासन पत्र में दिये गये निर्देशों का अवलोकन कर अपने अधिनस्थ बीट गार्डों / परिक्षेत्र सहायकों को पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। तथा उप सचिव उपर्युक्त शासन पत्र क्र./P-STWD/224/2025 दिनांक 16/04/2025 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 01 से 10 तक में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से परिपालन किया जावे, तथा वनमंडल कार्यालय को भी गई कार्यवाही एवं जानकारी से अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।
(शासन पत्र एवं प्रपत्र - 1 से प्रपत्र 4 तक)

वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

प्रपत्र - 1

वन अधिकार पत्रधारकों/पट्टेधारियों की सूची

जिले का नाम :-.....

वनमण्डल का नाम :-.....

वनग्राम का नाम :-.....

क्रमांक	वनग्राम का नाम	वनग्राम निवासी का नाम व वल्दियत	वनग्राम के दिये गये पट्टे का रकबा (हेक्टेयर में)			जारी वन अधिकार पत्र का रकबा (हेक्टेयर में)			पट्टे एवं अधिकार पत्र के रकबे का अंतर (6-9) (हेक्टेयर में)	मूल पट्टेधारी या वारिस/वारिस होने की स्थिति मूल पट्टेधारी का नाम और पट्टे का रकबा	पट्टे या अधिकार पत्रधारक की भूमि प खड़े वृक्ष	
			कृषि भूमि	आवास भूमि	योग	कृषि भूमि	आवास भूमि	योग			प्रजाति	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

हस्ताक्षर वन अधिकार समिति के अध्यक्ष.....

हस्ताक्षर वन अधिकार समिति के सचिव.....

हस्ताक्षर पटवारी.....

हस्ताक्षर वनरक्षक .....

हस्ताक्षर ग्राम पंचायत सचिव .....

प्रपत्र - 2

वनग्राम में 13 दिसम्बर, 2005 के पूर्व के ऐसे कब्जेधारी जिनका वन पट्टा या वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया

जिले का नाम :-.....

वनमण्डल का नाम :-..... वनग्राम का नाम :-.....

क्रमांक	वनग्राम में 13.12.2005 के पूर्व से काबिज व्यक्ति जिसे वन पट्टा या वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है, का नाम व वल्दियत एवं	वर्ग अनुसूचित जनजाति (ST)/ अन्य परम्परागत वन निवासी (OTFD)	कब्जे का रकबा (हेक्टेयर में) (13.12.2005 के पूर्व का)	वनरक्षक तथा पटवारी के संयुक्त सत्यापन में प्राप्त रकबा (हेक्टेयर में)	कब्जाधारी यदि अन्य वन निवासी है तो व कब्जेधारी के निवास 75 वर्ष से अधिक हो अधिकार पत्र हेतु आ दिनांक
1	2	3	4	5	5

हस्ताक्षर वन अधिकार समिति के अध्यक्ष.....

हस्ताक्षर वन अधिकार समिति के सचिव.....

हस्ताक्षर पटवारी.....

हस्ताक्षर वनरक्षक .....

हस्ताक्षर ग्राम पंचायत सचिव.....

सत्यापन

प्रपत्र-3

जिले का नाम :-.....

वनमण्डल का नाम :-.....

वनग्राम का नाम :-.....

क्रमांक	वनग्राम नियम के तहत जारी पट्टेधारी का नाम व वल्दियत	प्रपत्र-1/ प्रपत्र-2 का सरल क्रमांक	पट्टे का रकबा (हेक्टेयर में)		वन अधिकार पत्र यदि जारी हुआ है तो उसका रकबा (हेक्टेयर में)		पट्टे का शेष रकबा जिस पर 13 दिसम्बर, 2005 के पूर्व काबिज था (हेक्टेयर में)		वनरक्षक तथा पटवारी के संयुक्त सत्यापन में प्राप्त रकबा (हेक्टेयर में)		पट्टा धारी यदि अन्य परम्परागत वन निवासी है तो वनग्राम में पट्टेधारी के निवास की अवधि	
											75 वर्ष से अधिक होने पर वन अधिकार पत्र हेतु आवेदन का दिनांक	75 वर्ष कम है तो पट्टा नवीनीकरण हेतु आवेदन का दिनांक
			कृषि	आवास	कृषि	आवास	कृषि	आवास	कृषि	आवास		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

हस्ताक्षर वन अधिकार समिति के अध्यक्ष.....

हस्ताक्षर वन अधिकार समिति के सचिव.....

हस्ताक्षर पटवारी.....

हस्ताक्षर वनरक्षक .....

हस्ताक्षर ग्राम पंचायत सचिव .....

प्रपत्र - 4

जिला स्तरीय समिति द्वारा वनग्राम में मान्य दावों की सूची

जिले का नाम :-.....

वनमण्डल का नाम :-.....

क्रमांक	वनग्राम का नाम	वन अधिकार मान्य दावेदार का नाम एवं वल्दियत	वन अधिकार पत्र का क्रमांक	वन अधिकार पत्र का रकबा (हेक्टेयर में)		रिमार्क
				कृषि हेतु	निवास हेतु	
1	2	3	4	5	6	7

कलेक्टर..... वनमण्डल अधिकारी..... सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग.....